भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 936

(जिसका उत्तर सोमवार, 02 दिसंबर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया)

सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों सहित गैर-सरकारी संगठनों को जारी सीएसआर निधियां

936. डॉ. मन्ना लाल रावत:
श्री ज्ञानेश्वर पाटीलः
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः
श्री संदिपनराव आसाराम भुमरेः
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकरः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न हिस्सों में विशेष रूप से राजस्थान में कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के माध्यम से पर्यावरण, कौशल विकास, जल और स्वच्छता जैसे सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले संगठनों सहित गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उक्त संगठनों/एनजीओ द्वारा स्वीकृत/आवंटित/उपयोग किए गए धन का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान दादरा और नगर हवेली और राजस्थान में स्वीकृत/आवंटित/उपयोग की गई धनराशि का जिला-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) सीएसआर के तहत उक्त संगटनों और गैर-सरकारी संगठनों को कितनी निधियां जारी की गई हैं और उनके द्वारा विशेष रूप से दादरा और नगर हवेली, संभाजी नगर (औरंगाबाद) और मुंबई में सामाजिक क्षेत्रों में किए गए कार्यों का वर्ष-वार निधि-वार और जिले-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर, सलूम्बर और प्रतापगढ़ में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के नाम क्या हैं और सीएसआर निधि का उपयोग करके उनके द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के माध्यम से कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है। अधिनियम की अनुसूची VII में ऐसे क्षेत्रों या कार्यकलापों को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें

जारी...2/-

कंपनी द्वारा सीएसआर के रूप में किया जा सकता है। **कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 4 (1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 135 में यह निर्धारित किया गया है कि कंपनी के बोर्ड को अपनी सीएसआर कार्यकलापों को कंपनी द्वारा स्वयं या निम्नलिखित के माध्यम से करने का अधिकार है:-**

i. **अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित एक कंपनी, या एक पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या एक पंजीकृत सोसायटी, जिसे धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (viक) के तहत छूट दी गई है या धारा 12क के तहत पंजीकृत है और अधिनियम की आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) धारा 80छ के तहत अनुमोदित है, जो-**

   - **कंपनी द्वारा अकेले या किसी अन्य कंपनी के साथ मिलकर स्थापित; या**
   - **समान कार्यकलापों को करने में कम से कम तीन वर्षों का स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड होना।**

ii. **अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत स्थापित कंपनी या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित पंजीकृत ट्रस्ट या पंजीकृत सोसायटी; या**

iii. **संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के तहत स्थापित कोई भी इकाई।**

1 अप्रैल, 2021 से केंद्रीय सरकार के साथ उपरोक्त संस्थाओं का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। 25.11.2024 तक, कुल 81,624 कार्यान्वयन एजेंसियों ने एमसी21 रजिस्ट्री के साथ पंजीकरण कराया है। संस्थाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार डाटा **नहीं रखा जाता है।**

(ख): सीएसआर ढांचा प्रकटीकरण आधारित है और सीएसआर अधिदेशित **कंपनियों को एमसीए 21 रजिस्ट्री में** वार्षिक **सीएसआर कार्यकलापों का विवरण** फाइल **करना** अपेक्षित **है। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा** फाइल किए गए **सीएसआर से संबंधित सभी** डाटा **सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं और www.csr.gov.in पर देखे जा सकते हैं। कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा** स्वीकृत/आवंटित /उपयोग की गई निधियों का डाटा मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से नहीं रखा जाता है। हालांकि, एमसीए 21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा (31.03.2024 तक) की गई फाइलिंग के आधार पर, पिछले पांच वित्तीय वर्षों (वि.व.) अर्थात् 2018-19 से 2022-23 के दौरान कंपनियों द्वारा व्यय किया गया राज्यवार संचयी सीएसआर व्यय अनुलग्नक- I में है। कंपनियों द्वारा किए गए सीएसआर फाइलिंग के विश्लेषण से पता चलता है कि कुल वार्षिक सीएसआर व्यय में से लगभग 56% सीएसआर व्यय पिछले पांच वर्षों में कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से किया गया है।

(ग) से (ङ): स्वीकृत/आवंटित /उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से नहीं रखा जाता है। दादरा और नगर हवेली में किया गया संचयी सीएसआर व्यय अनुलग्नक-I में शामिल है। संभाजी नगर (औरंगाबाद), मुंबई और राजस्थान में पिछले पांच वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष) अर्थात् 2018-19 से 2022-23 के दौरान जिलेवार व्यय किया गया संचयी सीएसआर क्रमशः अनुलग्नक-II और III में है।

पिछले पांच वित्तीय वर्षों (वि.व.) अर्थात् 2018-19 से 2022-23 के दौरान राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, सलूम्बर और प्रतापगढ़ जिलों में किए गए संचयी सीएसआर व्यय का विवरण अनुलग्नक-IV में है ।

******

अनुलग्नक-I

दिनांक 02.12.2024 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 936 में संदर्भित अनुलग्नक।

वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक राज्यवार सीएसआर व्यय (राशि करोड़ में)						
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**वित्तीय वर्ष 2018-19**	**वित्तीय वर्ष 2019-20**	**वित्तीय वर्ष 2020-21**	**वित्तीय वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**
1	अंडमान और निकोबार	0.82	1.29	2.86	9.71	2.53
2	आंध्र प्रदेश	665.97	710.23	719.81	656.79	954.63
3	अरुणाचल प्रदेश	24.56	18.02	10.58	119.42	13.35
4	असम	210.00	285.00	180.23	406.17	470.24
5	बिहार	137.95	110.48	89.89	165.97	235.36
6	चंडीगढ़	11.46	15.58	13.40	50.88	18.06
7	छत्तीसगढ	149.35	269.68	325.63	305.29	596.11
8	दादरा और नगर हवेली	13.48	18.34	21.98	14.11	13.71
9	दमन और दीव	6.25	9.53	5.25	4.13	9.40
10	दिल्ली	750.85	830.00	724.59	1193.93	1462.66
11	गोवा	46.77	43.91	41.92	45.43	58.11
12	गुजरात	1082.18	984.37	1461.60	1603.93	1982.26
13	हरयाणा	378.11	537.91	550.86	683.95	700.16
14	हिमाचल प्रदेश	78.79	78.78	106.31	140.22	138.52
15	जम्मू और कश्मीर	36.44	25.27	35.56	50.68	71.22
16	झारखंड	109.80	155.21	226.54	193.33	388.13
17	कर्नाटक	1257.69	1448.16	1277.81	1839.73	1985.23
18	केरल	354.78	298.56	290.67	239.73	351.60
19	लक्षद्वीप	0.39	-	0.01	0.45	0.02
20	लेह और लद्दाख	-	-	-	14.84	11.72
21	मध्य प्रदेश	243.55	220.46	375.51	427.10	655.86
22	महाराष्ट्र	3147.72	3353.24	3464.81	5380.07	5494.77
23	मणिपुर	7.81	14.21	10.39	15.62	53.45
24	मेघालय	16.54	17.65	17.63	19.63	21.73
25	मिजोरम	0.11	0.25	0.97	6.94	10.99
26	नगालैंड	2.12	5.10	3.57	12.46	13.57
27	ओडिशा	697.91	717.39	578.16	670.32	987.70
28	पुदुचेरी	9.15	11.32	12.43	9.31	12.55
29	पंजाब	166.85	189.44	158.46	184.89	247.47
30	राजस्थान	595.49	734.12	670.00	711.82	1102.16
31	सिक्किम	5.87	10.99	17.28	28.24	36.18
32	तमिलनाडु	877.08	1072.26	1174.07	1432.06	1558.66
33	तेलंगाना	428.06	445.80	627.71	685.87	1006.63
34	त्रिपुरा	23.06	9.40	9.29	15.91	19.26
35	उतार प्रदेश।	521.32	577.98	907.32	1339.18	1152.43
36	उत्तराखंड	172.31	124.70	160.58	228.08	301.11
37	पश्चिम बंगाल	382.23	423.85	471.48	567.21	759.51
38	पैन इंडिया*	6443.53	9385.66	7805.03	5522.74	5988.91
39	अन्य केंद्रीकृत निधियाँ	1156.86	1790.69	3491.30	1620.09	1091.86
40	एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया*	4.44	20.97	169.47	0.09	10.12
कुल		**20217.65**	**24965.82**	**26210.95**	**26616.30**	**29987.92**

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

*एनईसी (अन्यत्र शामिल नहीं)

* कम्पनियों ने या तो राज्य का नाम नहीं बताया या एक से अधिक राज्यों का नाम बताया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

अनुलग्नक- II

दिनांक 02.12.2024 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 936 में संदर्भित अनुलग्नक।

वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक औरंगाबाद में सीएसआर व्यय (राशि करोड़ में)						
क्र.सं.	**ज़िला**	**वित्तीय वर्ष 2018-19**	**वित्तीय वर्ष 2019-20**	**वित्त वर्ष 2020-21**	**वित्तीय वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**
1	औरंगाबाद (संभाजी नगर)	18.68	66.69	73.46	95.40	121.56

वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक मुंबई में सीएसआर व्यय (राशि करोड़ में)						
क्र.सं.	**ज़िला**	**वित्तीय वर्ष 2018-19**	**वित्तीय वर्ष 2019-20**	**वित्त वर्ष 2020-21**	**वित्तीय वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**
1	मुंबई शहर	70.27	276.83	394.15	2975.73	2763.44

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

अनुलग्नक- III

दिनांक 02.12.2024 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 936 में संदर्भित अनुलग्नक।

वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक राजस्थान में जिलावार सीएसआर व्यय (राशि करोड़ में)						
क्र.सं.	**ज़िला**	**वित्तीय वर्ष 2018-19**	**वित्तीय वर्ष 2019-20**	**वित्तीय वर्ष 2020-21**	**वित्तीय वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**
1	अजमेर	12.82	14.36	4.45	9.35	10.59
2	अलवर	18.32	25.58	35.88	51.18	58.18
3	बांसवाड़ा	3.98	2.82	2.40	1.49	5.51
4	बरन	1.83	5.68	6.25	6.81	11.95
5	बाड़मेर	25.70	17.55	24.55	15.74	17.73
6	भरतपुर	6.01	3.03	17.17	5.06	17.84
7	भीलवाड़ा	12.63	16.68	7.30	41.64	107.60
8	बीकानेर	2.99	4.15	4.89	15.99	22.12
9	बूंदी	0.15	0.09	0.06	0.42	2.51
10	चित्तौड़गढ़	22.83	3.04	4.97	23.31	8.38
11	चुरू	3.97	9.38	2.82	5.58	16.81
12	दौसा	0.49	2.28	3.60	3.92	2.60
13	धौलपुर	0.29	0.52	2.85	3.37	1.72
14	डीडवाना-कुचामन	-	-	-	-	0.29
15	डूंगरपुर	-	2.53	2.52	4.04	11.09
16	गंगानगर	0.00	0.94	2.18	0.84	1.65
17	हनुमानगढ़	-	-	0.06	0.31	0.49
18	जयपुर	42.57	88.15	59.13	109.20	179.93
19	जैसलमेर	0.04	3.55	4.28	5.44	11.72
20	जालौर	10.01	2.90	6.29	7.31	47.80
21	झालावाड़	2.16	1.06	2.39	3.27	2.63
22	झुंझुनू	4.65	3.96	5.52	7.73	13.32
23	जोधपुर	6.89	6.58	11.47	25.42	36.88
24	करौली	0.24	3.03	10.62	12.09	16.66
25	कोटा	4.06	13.82	7.90	11.05	12.18
26	नागौर	0.39	2.60	8.01	5.79	7.65
27	पाली	10.44	5.19	10.53	16.92	21.35
28	प्रतापगढ़	0.13	0.59	0.18	0.06	-
29	राजसमंद	7.90	15.80	23.68	22.75	15.38
30	सवाई माधोपुर	1.37	0.96	3.43	2.52	0.93
31	सीकर	14.81	6.63	6.95	20.81	23.31
32	सिरोही	2.15	4.70	3.12	9.62	50.95
33	टोंक	0.43	0.47	0.99	5.25	3.47
34	उदयपुर	22.55	46.24	101.53	88.01	195.55
35	एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया*	352.68	419.25	282.01	169.53	165.39
कुल		**595.49**	**734.12**	**670.00**	**711.82**	**1102.16**

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

*एनईसी (अन्यत्र शामिल नहीं)

* कम्पनियों ने या तो जिलों के नाम नहीं बताए या फिर एक से अधिक जिलों का नाम बताया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

अनुलग्नक- IV

दिनांक 02.12.2024 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 936 में संदर्भित अनुलग्नक।

वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक उदयपुर में सीएसआर व्यय (राशि करोड़ में)						
क्र.सं.	**ज़िला**	**वित्तीय वर्ष 2018-19**	**वित्तीय वर्ष 2019-20**	**वित्तीय वर्ष 2020-21**	**वित्तीय वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**
1	उदयपुर	22.55	46.24	101.53	88.01	195.55

	वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक डूंगरपुर में सीएसआर व्यय (राशि करोड़ में)					
क्र.सं.	**ज़िला**	**वित्तीय वर्ष 2018-19**	**वित्तीय वर्ष 2019-20**	**वित्तीय वर्ष 2020-21**	**वित्तीय वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**
1	डूंगरपुर	-	2.53	2.52	4.04	11.09

	वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक प्रतापगढ़ में सीएसआर व्यय (राशि करोड़ में)					
क्र.सं.	**ज़िला**	**वित्तीय वर्ष 2018-19**	**वित्तीय वर्ष 2019-20**	**वित्तीय वर्ष 2020-21**	**वित्तीय वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**
1	प्रतापगढ़	0.13	0.59	0.18	0.06	-

	वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक सलूम्बर में सीएसआर व्यय					
क्र.सं.	**ज़िला**	**वित्तीय वर्ष 2018-19**	**वित्तीय वर्ष 2019-20**	**वित्तीय वर्ष 2020-21**	**वित्तीय वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**
1	सलूम्बर	-	-	-	-	-

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)